

80

राजस्थान सरकार
स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक प 3(50) दिनांक 13/03/2012

जयपुर, दिनांक 08.02.2013

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप-धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 एवं दिनांक 03.09.2012 का आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित नगरीय क्षेत्रों में स्थित ऐसी आवासीय कॉलोनियों, जिन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, या यथास्थिति, नगर विकास न्यास से संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, या यथास्थिति, नगरपालिका मण्डल को हस्तान्तरित किया जा चुका है, के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या 4 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है :-

क्र. सं.	नगरीय क्षेत्र	पूर्व में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका मण्डल को हस्तान्तरित कॉलोनियों के लिए नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4
1	जयपुर नगर निगम का क्षेत्र	जयपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित क्षेत्र का उपायुक्त	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम एवं आयुक्त (मुख्यालय) नगर निगम
2	जोधपुर नगर निगम का क्षेत्र	जोधपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित क्षेत्र का उपायुक्त	नगर निगम में संबंधित क्षेत्र का आयुक्त
3	नगर निगम अजमेर एवं कोटा नगरपरिषद उदयपुर, अलवर एवं भीलवाड़ा और नगरपरिषद भिवाड़ी	संबंधित नगर सुधार न्यास में पदस्थापित उप सचिव, विशेषाधिकारी और भूमि अवाप्ति अधिकारी	नगरनिगम, नगरपरिषद, या यथास्थिति, नगरपालिका मण्डल में संबंधित क्षेत्र का आयुक्त या अधिशाही अधिकारी
4	नगरनिगम बीकानेर, नगरपरिषद श्रीगंगानगर भरतपुर एवं जैसलमेर और नगरपालिका आबू रोड एवं आबू पर्वत	संबंधित नगर सुधार न्यास का सचिव और भूमि अवाप्ति अधिकारी	नगरनिगम, नगरपरिषद, या यथास्थिति, नगरपालिका मण्डल में संबंधित क्षेत्र का आयुक्त या अधिशाही अधिकारी

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर०के० पारीक)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

राजस्थान सरकार
स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प 3(50) नीजी/3/2012

जयपुर दिनांक 05/02/2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त कराया जावे।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशन के लिए अधिसूचना की दो प्रतियां मय साफ्ट प्रति के साथ। यह भी अनुरोध है कि राजपत्र की 20 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित की जावे।
15. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
16. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/मण्डल राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय